

22-10-12 online entry
न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 561/20/17 धारा 107 द.प्र.स.

| दिनांक | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पत्र पर की गई कारवाही |
|--------|---|---|
| 4.17 | <p>मीना देवी बनाम रूपवान देवी पानरडी धाना अप्राथमिकी सं० ०४/१२</p> | <p>6/5/17 13/5/17 26/5/17</p> |
| | <p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० पानरडी ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन धाना प्रभारी पानरडी धाना एवं अ० निरी० लोरापारकर ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच खलियाली लसाल को</p> | <p>7/6/17 20/6/17 6-7-17 21/7/17 8/8/17 23/8/17</p> |
| | <p>लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 22.10.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो सम्प्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p> | <p>6/9/17 19/9/17 4/10/17 13/10/17 28/10/17 11/11/17 समाप्त</p> |
| | <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> | <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> |

11/10/13 - प्रथम पक्ष को ओट से 115 का आवेक है जिससे किता जाता है।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है।
दि 11/10/13 को 2 वें

मे

11/10/13 - प्रथम पक्ष अनुपस्थित है
दि 11/10/13 को 2 वें

मे

11/10/13 - प्रथम पक्ष को ओट से 115 का आवेक है जिससे किता जाता है।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है।
दि 11/10/13 को 2 वें

मे

11/11/13 - प्रथम पक्ष को ओट से 115 का आवेक है जिससे किता जाता है।
द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है।
कालवाचिका लोने के कारण 015 की कार्यवाही।
न्यायाधीश एवं कार्यवाही में समाप्त की जाती है।
दि 11/11/13